डिजाइन इनोवेशन सेन्टर से सम्बन्धित जरूरी जिज्ञासाएँ एवं उनका समाधान

डिजाइन इनोवेशन सेन्टर क्या है?

डिजाइन इनोवेशन सेन्टर, नेशनल इनोवेशन काउंसिल NInC द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट है जो 12th V Year Plan के अन्तर्गत काम कर रहा है। इसके अन्तर्गत पूरे देश में 20 डिजाइन इनोवेशन सेन्टर की स्थापना का उद्देश्य है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य Designing in Indian, Make in India and Served from India है। यह नेशनल नालेज नेटवर्क (NKN) एवं नेशनल डिजाइन इनोवेशन नेटवर्क के तहत Hub and Spoke मॉडल पर कार्य कर रहा है। यह पूरी योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कि जा रही है।

डिजाइन इनोवेशन सेन्टर, बी.एच.यू. एवं आई.आई.टी (बी.एच.यू.) कैसे कार्य कर रहे है?

डिजाइन इनोवेशन सेन्टर, बी.एच.यू. एवं आई.आई.टी (बी.एच.यू.) HUB and SPOKE मॉडल पर कार्य कर रहा है जिसके अन्तर्गत डिजाइन इनोवेशन सेन्टर, बी.एच.यू. एवं आई.आई.टी (बी.एच.यू.) HUB के तौर पर तथा मोतीलाल नेहरू नेशनल इन्स्टीटूयट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद SPOKE के तौर पर कार्य रहा है।

डिजाइन इनोवेशन सेन्टर, बी.एच.यू. एवं आई.आई.टी (बी.एच.यू.) डिजाइन एवं इनोवेशन के क्षेत्र में किन प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य कर रहा है?

डिजाइन इनोवेशन सेन्टर, बी.एच.यू. एवं आई.आई.टी (बी.एच.यू.) प्रमुख रूप से पर कृषि, स्वास्थ्य, कम्प्युटर एवं लैंग्वेज, कला एवं संस्कृति, ऊर्जा, विज्ञान एवं तकनीक एवं पर्यावरण सम्बन्धित विषयों पर विभिन्न तरीके के प्रोजेक्ट्स के तहत डिजाइन एवं इनोवेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे है।

क्या उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा भी किसी और क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है?

हाँ, उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों या अन्य किसी भी विषय पर जिसमें डिजाइन एवं इनोवेशन की सम्भावनाएँ हों तथा वह औद्योगिक या सामाजिक सारोकारों को पूरा करता हो या उसे पूरा करने की सम्भावना हों उन सभी क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट एवं विचारों का स्वागत है।

प्रोजेक्ट्स कैसे जमा करना है?

प्रोजेक्ट्स जमा करने के लिए आप डिजाइन इनोवेशन सेन्टर के ऑफिस से फार्म ले सकते है या डी.आई.सी. वेबसाइट (www.diciitbhu.com) से भी फार्म डाउनलोड कर सकते है। इसके उपरान्त फार्म में दी गई समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरने के बाद छात्रों को किसी एक अध्यापक को एक मेन्टर के तौर पर अपने प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित करना पडेगा जिनके दिशा निर्देशन में यह प्रोजेक्ट कार्य करेगा। उक्त अध्यापक की सहमति के उपरान्त विभागाध्यक्ष, संकाय प्रमुख, निदेशक तथा केन्द्र के समन्वयक द्वारा आधिकारिक रूप से अग्रसारित कराकर केन्द्र में जमा करना होगा।

प्रोजेक्ट्स जमा करने की कोई समय सीमा है?

नहीं, प्रोजेक्ट कभी भी जमा किए जा सकते है। सभी प्रोजेक्टस पर प्रत्येक माह के आखिरी सप्ताह में विचार–विमर्श करने के उपरान्त उनपर निर्णय लिया जाता है एवं उससे आवेदनकर्ता को अवगत कराने के उपरान्त एक विशेष प्रस्तुति एवं कमेटी के द्वारा संस्तुतियाँ दी जाती है।

इन प्रोजेक्ट को कौन कर सकता है?

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड कोई भी छात्र (यू.जी., पी.जी., रिसर्च, एवं डिप्लोमा इत्यादि) तथा किसी भी क्षेत्र के अध्यापक उपरोक्त विषयों व उनसे सम्बन्धित एवं अन्य विषयों पर प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र से कोई भी अपना प्रोजेक्ट्स या आइडिया काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र या अध्यापक के साथ मिलकर कर सकता है।

क्या इन प्रोजेक्ट्स के लिए किसी प्रकार का मार्गदर्शन भी मिलता है?

हाँ, प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सभी तरीके की सहायता एवं मार्गदर्शन नियमानुसार प्रदान कराने में यह सेन्टर सहायता करता है।

क्या कोई आर्थिक मदद भी इस केन्द्र के द्वारा प्रोजेक्ट्स को मिलती है?

हाँ, छात्रों एवं अध्यापकों के लिए कई तरीके की आर्थिक सहायता नियमानुसार प्रदान कराई जाती हैं। छात्रों के लिए प्रोजेक्ट पर दी जाने वाली अधिकतम आर्थिक राशि की सीमा रू0 2 लाख है तथा अध्यापकों के लिए रू0 5 लाख है।

क्या कोई औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सहायता भी प्रदान की जाती है?

हाँ, सम्बन्धित विषयों पर हो रहे प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरीके की औद्योगिक सम्बन्धित विभिन्न सहायताएँ उस विषय पर औद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।